ई-मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

संख्या : ई- 8873/ जी०एस०
दिनांक : दिसम्बर 26, 2023

E-1231602
28/12/23

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-8739/2023, दिनांक दिसम्बर 26, 2023 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गये है।

1. ADC
2. OSD
3. US
4. SH
5. ...
6. SO

27/12/23

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

राजभवन, लखनऊ

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या–ई–8739/2023

दिनांक : दिसम्बर 26, 2023

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर(उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति अपने पद को धारण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अथवा 68 (अड़सठ) वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगें जिन्होने 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा जिसके पास उच्चतर शिक्षा के स्नातक प्राविधिक उपाधि स्तर के संस्थान या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट **"www.upgovernor.gov.in"** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 22 जनवरी, 2024 तक केवल ऑन लाइन **(On Line)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR FOR HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY, KANPUR (U.P.)

Advt. No. E-8739/2023 Dated : December 26, 2023

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Harcourt Butler Technical University, Kanpur (U.P.), established under the Uttar Pradesh Harcourt Butler Technical University Act, 2016 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 (three) years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 (sixty eight) years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 (sixty five) years.

As the Vice-Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, applicant should have highest level of administrative competence, integrity, morals and institutional commitment. Applicant shall be a scholar of eminence in one of the areas of engineering, technology and applied sciences having at least 10 years experience as a Professor in graduate technical degree level institute of higher learning or University.

The applicant for the post of Vice-Chancellor should send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **22 January, 2024**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

26.12.23

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.